न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 01/2017

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर		1. प्रतापसिंह पुत्र श्री अनुपसिंह, जाति रावणा राजपूत **(एफबीओ)** मैसर्स मां भवानी किराणा व मसाला पिसाई केन्द्र, श्री यादेनगर, बाई पास रोड़, ओसियां जिला जोधपुर निवासी-श्री यादे नगर बाई पास रोड़, ओसियां जिला जोधपुर 2. राजुसिंह पुत्र श्री अनुपसिंह (**मालिक**) मै. मां भवानी किराणा स्टोर, प्रजापति नगर, नयापुरा चाडी चौराहा, ओसियां, जिला जोधपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं 52 के तहत

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिसिंह राजपुरोहित उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 14.03.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मैसर्स मां भवानी किराणा व मसाला पिसाई केन्द्र, श्री यादे नगर बाई पास रोड़ ओसियां जिला जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री अनुपसिंह जाति रावणा राजपूत (एफबीओ), निवासी श्री यादेनगर बाई पास रोड़, ओसियां, जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर भवानी ब्राण्ड मसाले निर्माण कर विक्रय कर रहे थे। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2015 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो इन्होने मौके पर पेश किया। पिसाई केन्द्र एवं पास की कमरे का निरीक्षण करने पर **हल्दी पाउडर भवानी ब्राण्ड 500 ग्राम** के पॉली पैकेट में 36 पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु 1 रेक में रखे हुए थे। जिन पर निर्माता माँ भवानी किराणा स्टोर बाई पास रोड़ ओसियां लिखा हुआ था तथा उस पर बैच नम्बर व निर्माण तिथि अंकित नहीं थी। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर/मिथ्या छाप का शक होने पर इसकी जांच एफ.एस.एस.एक्ट के तहत कराने हेतु रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को रूपये 220/- नगद देकर **हल्दी पाउडर भवानी ब्राण्ड** के 500-500 ग्राम के 4 पैकेट वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा **हल्दी पाउडर भवानी ब्राण्ड** 500-500 ग्राम के पोली पैकेटों को चार भागों में बांटकर चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर

एडी-320 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। प्रत्येक मूल पैकेट को अलग-अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एडी-320** हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई गयी एंव चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **एडी-320** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर द्वारा दिनांक 09.03.2016 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में **एडी-320** की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/229/एक्ट/2016/266 दिनांक 17.03.2016 अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर भवानी ब्राण्ड** के नमूनों व पैकेटों पर बैच नम्बर, उत्पादन/पैकिंग की दिनांक व कुल मात्रा अंकित नहीं थे जो कि एफ.एस.एस.एक्ट के पैकेजिंग एण्ड लैबलिंग रेग्युलेशन 2011 के रेग्युलेशन संख्या 2.2.2(6), 2.2.2(7), 2.2.2(8) व 2.2.2(9) के अनुसार **मिथ्या छाप (Misbranded)** होना पाया गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी का प्राधिकृत पत्र मूल, गजट नोटिफिकेशन, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, संशोधित नोटिफिकेशन, अधिसूचना कार्य क्षेत्र, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद व मौका फर्द मूल, मां भवानी किराणा स्टोर का खाद्य अनुज्ञा पत्र, नमूना संख्या एडी -320 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद (प्रारूप VI के पीछे), नमूना संख्या एडी-320 के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सिल्ड भाग की प्राप्ति रसीद, जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र संख्या 191-92, जांच रिपोर्ट फार्म बी एल.एस./229/एक्ट/2016/266 पेश किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 10.01.17 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता दिनांक 16.01.2018 को जवाब पेश किया जिसमें अप्रार्थीगण ने बताया कि खाद्य अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर खाद्य पदार्थ विनिर्माण एवं विक्रय किया जा रहा था तथा खाद्य अनुज्ञा पत्र के पंजीकरण क्रमांक 22215039001117 दिनांक 01.04.2015 से एक वर्ष के लिए जारी किया हुआ था। उक्त दिनांक को रेक/अलमारी में जो खाद्य पदार्थ

हल्दी के पैकेटस रखे थे जिस पर बैच नम्बर तथा निर्माण तिथि अंकित करने का कार्य शेष था लेकिन जवाबदाता के घर पर आवश्यक कार्य होने से उक्त कार्य पूर्ण कर पैकेजिंग करने से रह गये थे इस कारण उस खाद्य पदार्थ को खुले ही अलग कमरे में रखे हुए थे जो कि आमजन एवं ग्राहकों को बेचान करने हेतु नहीं रखे हुए थे। उक्त तथ्य अधिकारी को अवगत कराये गये लेकिन उक्त अधिकारी द्वारा उक्त बात को नजर अंदाज कर जबरदस्ती उक्त खुले पैकेट डरा धमकाकर उठा लिये गए और धमकाया कि खाद्य पदार्थ नमूना जांच हेतु भेजेगे इसलिए अधूरी पैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हल्दी पाउडर के 4 पैकेट बिना रकम दिये हड़प लिए तथा खाली कागज एवं फार्म पर हस्ताक्षर करवाए गए जबकि उक्त पैकेट दुकान के पास के कमरे में पैकिंग विवरण जैसे दिनांक व बैच नम्बर लिखाने की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु रखे गये थे। मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गई जो पैकेटस लिए वो जबरदस्ती खाली में हल्दी भरवाकर लिए गए एवं खाली फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए गए। जवाबदाता अनुज्ञाधारी है जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण कर एवं पीसकर उसका बेचान करता है एवं छोटा दुकानदार है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी आदि मसाले अच्छे मानक एवं उच्च गुणवता वाली विक्रय की जाती रही है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई एवं न ही मिलावटी वस्तु बेचान की गई है। इसके अलावा अप्रार्थीगण द्वारा अपने साक्ष्य में भी उक्त जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को ही दोहराया गया है। अत: अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने एवं प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने पर धारा 52 के तहत दोषी है। अत: अप्रार्थीगण पर शास्ति रूपये 2,000/- (अक्षरे रूपये दो हजार मात्र) आरोपित की जाती है, अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 14.03.2019 के एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 14.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर